उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंण अनुभाग,

संख्या- 5/185/92-2014-77आरईएस/2014,

लखनऊ: दिनांक: 07 मार्च, 2014

**कार्यालय-ज्ञाप**

कैलेण्डर वर्ष 2014 में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के समूह-'ख' के निम्नलिखित सहायक अभियन्तागण 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के उपरान्त अपने नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित तिथि के अपरान्ह में राजकीय सेवा से, सेवानिवृत्त हो जायेंगे :-

| क्र0 सं0 | सेवानिवृत्त होने वाले सहायक अभियन्ताओं का नाम | पदनाम | जन्मतिथि | सेवानिवृत्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री जगदीश सिंह पवार | सहायक अभियन्ता | 01-05-1954 | 30-04-2014 |
| 2 | श्री अब्दुल गफफार खां | सहायक अभियन्ता | 02-05-1954 | 31-05-2014 |
| 3 | श्री कुंवर बहादुर पटेल | सहायक अभियन्ता | 06-05-1954 | 31-05-2014 |
| 4 | श्री अतीकुर्रहमान | सहायक अभियन्ता | 01-07-1954 | 30-06-2014 |
| 5- | श्री दयानन्द वर्मा | सहायक अभियन्ता | 01-08-1954 | 31-07-2014 |
| 6- | श्री बलराम सिंह | सहायक अभियन्ता | 10-11-1954 | 30-11-2014 |
| 7- | श्री वरूणेश कुमार त्रिपाठी | सहायक अभियन्ता | 01-01-1955 | 31-12-2014 |
| 8- | श्री शीलेन्द्र प्रकाश | सहायक अभियन्ता | 01-01-1955 | 31-12-2014 |

मनोज कुमार सिंह

प्रमुख सचिव।

**संख्या- 5/185(1)/92-2014-तददिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ कि यदि उपयुर्क्त अभियन्ताओं के विरूद्व यदि किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो उनके पूर्ण पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त हो, जाने के उपरान्त ही किया जाय।

http://shasnadesh.up.nic.in

3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in